उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-259/2021/963(2)/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0

लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2020

संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2021

का शुद्धि पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के वि0स0क्षेत्रों में चयनित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2021 के प्रस्तर-2 पर अंकित तालिका के क्रमांक-31, क्रमांक-35 एवं क्रमांक-40 पर अंकित प्रायोजनाओं के सम्मुख कॉलम-5 में त्रुटिवश उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 का नाम अंकित हो गया है। उक्त के अतिरिक्त संदर्भगत शासनादेश के पृष्ठांकन में कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास विकास परिषद का नाम त्रुटिवश अंकित नहीं हो सका है।

2. उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2021 में एतद्वारा संशोधन करते हुए क्रमांक-31, क्रमांक-35 एवं क्रमांक-40 पर अंकित सन्दर्भगत प्रायोजनाओं के लिए त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित कार्यदायी संस्था के नाम का विलोपन करते हुए निम्नवत् नामित कार्यदायी संस्थाओं का नाम अंकित किया जाता है:-

क्रमांक	**जनपद का नाम**	**विधान सभा क्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**त्रुटिपूर्ण दर्शायी गयी क कार्यदायी संस्था जिसका विलोपन किया जा रहा है।**	**संशोधित कार्यदायी संस्था का नाम।**
31	**मैनपुरी**	**करहल**	**ग्राम-विधूना स्थित मारकण्डेय ऋषि की तपोभूमि का पर्यटन विकास कार्य।**	***उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0***	**यू0पी0सिडको**
35	**फिरोजाबाद**	**सिरसागंज**	**जनपद फिरोजाबाद स्थित रूपाणी देवी माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।**	***उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0***	**यू0पी0सिडको**
40	**महाराजगंज**	**नौतनवां**	**नौतनवां सोनौली में स्थित रामजानकी मंदिर स्थल का सुदृढ़ीकरण।**	***उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0***	**सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त के अतिरिक्त संदर्भगत शासनादेश संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2021 के पृष्ठांकन के ***क्रमांक-11(ए) पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास विकास परिषद के निमित्त प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ प्रविष्ठ*** कर अंकित किया जाता है।

4. संदर्भगत शासनादेंश दिनांक19 मार्च, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा जब कि उसमें अंकित अन्य विवरण, उपबन्ध एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-259/2021/963(3)/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा/ वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
6- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस), लखनऊ।
9- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम,लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 ,लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको ,लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
14- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, लखनऊ /कानपुर/ विन्ध्याचल/गोरखपुर/ प्रयागराज/अयोध्या/ वाराणसी/मेरठ/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर/आगरा/आजमगढ/बस्ती/झांसी ।
15- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
16- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।